

रामजी वरमा राजाराम की
प्राप्य अस्थाई निषेधाज्ञा

(2)

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत
राम नगरपुर पर पेश हुई। प्राधी रामजी
व अर्था राजाराम उपस्थित हैं। पक्षकारों
से कहा गया। पक्षकारों ने राजीनामा
इस अर्थ का पेश किया है कि दोनों पक्ष मौके पर
है जो यथास्थिति कनार रखने पर सहमत है।

रामजी
राजाराम

अतः पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत राजीनामा
अनुसार प्राप्य निर्णित किया जाकर दोनों
पक्षों को अस्थायी निषेधाज्ञा पावेंद किया
जाता है कि वे वादग्रस्त भूमि खण्ड नं० 964
जब 55 सयर ग्राम ~~कनार~~ तत्वाडा की
संबंधित होने तक मौके की यथास्थिति कनार रखें।
पत्रावली फौसलबामार होकर नम्बर से कम हो
जब तक तकमील मूल वाद के साथ संलग्न रहे।

(रामजी वरमा)
(रामजी कुमार शर्मा)
संडलोकट
सदस्य
लोक अदालत
गंगापुर सिटी

(रामजी वरमा)
(रवि कुमार शर्मा)
संडलोकट
सदस्य
लोक अदालत
गंगापुर सिटी

(रामजी वरमा)
(कस्तूरलाल आर)
अध्यक्ष
लोक अदालत
गंगापुर सिटी
स्व
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

पक्ष से
हेतु पत्रावली

पक्ष
की

वास्ते
के पेशगी

(3)

को

T.I.

गंगापुर सिटी (4)

राज्यीय सार्वजनिक अधिकारी एवं अन्य अधिकारियों के सम्बन्ध में (पी.एस.डी. अधिकारी) नामक कार्यवाही के अन्तर्गत कार्यवाही का स्थान - गंगापुर सिटी

राजिनामा प्रपत्र

दिनांक 8/5/17

राजिनामा संख्या 47/16

अन्तर्गत कार्य 212 R-718ct

प्रकरण में प्रार्थी/वादी श्री राजीव पुत्र श्री चन्द कि उक्त अनवान का प्रकरण आसके न्यायालय में लम्बित है। उक्त प्रकरण में हम पक्षकारों के बीच सुलह हो चुके है। हमारे बीच कोई विवाद नहीं रहा है। हम पक्षकारों के बीच साबन्ध अच्छे हो चुके है। आपसी राजीनामा निम्नानुसार तय हुआ है -

श्री राजीव पुत्र श्री चन्द एवं श्री चन्द पुत्र श्री चन्द के 29.07.964 व 965 आर. 22937 का प्रकरण को समाप्त करने पर सहमत हो जाते हैं तथा इसे का निष्पत्ति में इसलिये उक्त प्रकरण को निलंबित कर दिया जाये। हम दोनों पक्षों में कोई भी प्रमाणिकता के प्रमाण नहीं है। हम दोनों पक्षों में प्रमाणिकता के प्रमाण नहीं है। हम दोनों पक्षों में प्रमाणिकता के प्रमाण नहीं है।

(Signature)

- प्रतिवादी पक्ष 1 - राजीव पुत्र श्री चन्द
- 2 -
- 3 -
- 4 -

श्रीमती श्रीमती

जन्म पंजीयत नारायणपुर टक्का

पहचानकर्ता के हस्ताक्षर (प्रतिवादी पक्ष) नाम

राजिनामा प्रपत्र राजीव पुत्र श्री चन्द, श्रीमती

एवं प्रार्थी/ प्रतिवादी राजीव पुत्र श्री चन्द का प्रमाणिकता के प्रमाण नहीं है। राजीनामे की इजाजत को सुन व समझ कर सही होना। राजीनामा हस्तारब्ध्यादिश पक्षकार हस्तारब्ध किया जाता है। राजीनामा शामिल मिलान रहे।

(Signature)
सदस्य
लोक अदालत
गंगापुर सिटी

(Signature)
सदस्य
लोक अदालत
गंगापुर सिटी

(Signature)
अध्यापक
लोक अदालत
गंगापुर सिटी
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी